संख्या-12/2024/001-ई-3053648/60-3-2024-सी-1859276

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
लखनऊ, उ0प्र0।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 18 अक्टूबर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत पूर्णतयः राज्य पोषित योजना दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी सहायता, विधवाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार एवं निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की वित्तीरय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-623-24/निदे0म0क0/निरा0म0पें0(42)/2024-25, दिनांक 15.10.2024 तथा पत्र संख्या-24/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वीत0/2024-25, दिनांक 13.04.2024 का कृपया सन्द्र्भ ग्रहण करें, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये राजस्व पक्ष में अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्या ण-07-दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के अन्तीर्गत-20-सहायता अनुदान-सामान्यल (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-9.00 लाख के सापेक्ष रू0-4.50 लाख व लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-08-दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के अन्त0र्गत-20-सहायता अनुदान-सामान्यन (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-8.00 लाख के सापेक्ष रू0-4.00 लाख एवं लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-09-विधवाओं से विवाह करने पर दम्पदत्ति को पुरस्कार के अन्त-र्गत-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-25.00 लाख के सापेक्ष रू0-12.50 लाख तथा लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-04-निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के अन्तषर्गत-20-सहायता अनुदान-सामान्या (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-70.00 लाख के सापेक्ष रू0-17.50 लाख अर्थात् चारों योजनाओं के लिये प्राविधानित कुल धनराशि रू0-112.00 लाख (रूपये एक करोड़ बारह लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु रू0-38.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बकन्धर में है।

2- इस सम्बबन्धर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये राजस्व पक्ष में अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याअण-07-दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के अन्त्रगत-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-9.00 लाख के सापेक्ष रू0-4.50 लाख व लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-08-दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के अन्तार्गत-20-सहायता अनुदान-सामान्यज (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-8.00 लाख के सापेक्ष रू0-4.00 लाख एवं लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-09-विधवाओं से विवाह करने पर दम्पषत्ति को पुरस्कार के अन्तार्गत-20-सहायता अनुदान-सामान्यव (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-25.00 लाख के सापेक्ष रू0-12.50 लाख तथा लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-04-निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हेतु अनुदान के अन्तसर्गत-20-सहायता अनुदान-सामान्यव (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-70.00 लाख के सापेक्ष रू0-17.50 लाख अर्थात् चारों योजनाओं के लिये प्राविधानित कुल धनराशि रू0-112.00 लाख (रूपये एक करोड़ बारह लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु रू0-38.50 लाख (रूपये अड़तीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्ती य स्वीककृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/मानकों/दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(5) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमतः कार्यवाही कर अवगत करायें।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(12) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	049	2235021030700 दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओ की सहायता	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021030800 (दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	049	2235021030800 दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
	कुल			**4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2235021030900 (विधवाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरुस्कार)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021030900 विधवाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरुस्कार	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235028000400 (निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235028000400 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	17,50,000 (रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**17,50,000 (रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र)**

महायोग	38,50,000 (रुपये अड़तीस लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-12/2024/001-ई-3053648/60-3-2024-सी-1859276, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, लखनऊ।

3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- योजना अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।